जबलपुर | गुरुवार | 8 जनवरी 2026 | वर्ष 76 | अंक 335 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00 navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

जबलपुर 77 वां वर्ष संस्करण

सड़कों से कुत्तों को हटाएं

आम लोग और बच्चे कब तक झेलेंगे परेशानी

नई दिल्ली, 07 जनवरी. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर विस्तृत सुनवाई हुई. इस दौरान बहस में कुत्तों के व्यवहार, कम्युनिटी डॉग्स और यहां तक कि कुत्तों की काउंसलिंग जैसे शब्द भी सामने आए.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला केवल कुत्तों के काटने तक सीमित नहीं है. सड़क पर आवारा कुत्तों के दौड़ने या लोगों का पीछा करने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है. कोर्ट ने कहा कि रोकथाम इलाज से बेहतर है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है. आवारा कुत्तों के पक्ष में दलील देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि लोग संबंधित केंद्रों को सूचना दे सकते हैं, जिससे कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जा सके. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो शायद केवल कुत्तों की काउंसलिंग ही बाकी रह गई है, जिससे उन्हें वापस छोड़े जाने पर वे किसी को न काटें. अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आवारा कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका आदेश सड़कों के लिए नहीं, बल्कि केवल संस्थागत क्षेत्रों तक सीमित है. पीठ ने सवाल उठाया कि स्कूलों, अस्पतालों और अदालत परिसरों में आवारा कुत्तों की क्या आवश्यकता है और उन्हें वहां से हटाने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए. सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि जब भी वे मंदिरों में गए हैं, उन्हें कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा.

मैरिट सबके लिए एकसमान

सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर बड़ा फैसला

नई दिल्ली, 07 जनवरी. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। जिसमें कहा है कि जनरल कैटेगरी किसी जाति के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह मेरिट पर आधारित है.

यदि कोई अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का उम्मीदवार बिना किसी आरक्षण लाभ के सामान्य कट-ऑफ के आधार पर चयनित होता है, तो उसे जनरल श्रेणी में ही माना जाएगा। यह फैसला न केवल सरकारी नौकरियों, बल्कि जेईई , नीट, मेडिकल-इंजीनियरिंग एडमिशन, राज्य भर्तियों और भविष्य की आरक्षण नीति पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला है। विशेषज्ञ इसे मेरिट और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने वाला निर्णय मान रहे हैं। यह विवाद राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती पद्धति से जुड़ा था, जिसमें कुछ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य (जनरल) सूची में शामिल नहीं किया जा रहा था, भले ही उनके अंक सामान्य कट-ऑफ से अधिक थे। उम्मीदवारों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट (संयुक्त बेंच) ने इस हाईकोर्ट फैसले को बरकरार रखा.

विपक्ष तथ्यात्मक बात नहीं करता

वीबी जी-राम-जी को लेकर हुई पत्रकार वार्ता में सीएम ने कहा

- केवल विरोध के लिये न करें विरोध
- गांवों की तस्वीर बदल देगा जी-राम-जी

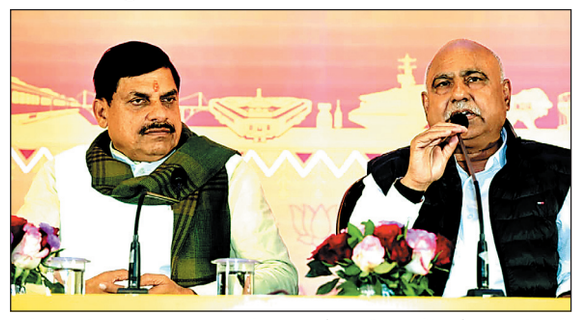

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीबी जी-राम-जी को लेकर लगाये जा रहे आरोपों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, उन्होंने कहा कि विपक्ष तथ्यात्मक बात नहीं करता, केवल विरोध के लिये विरोध करते हैं. वे सुझाव नहीं देते. कमियां नहीं बताते. वे बताएं तो सरकार अमल भी करेगी. उन्होंने कहा कि अब जी-राम-जी को लेकर विपक्ष को बोलना है तो बोलें. पहले ये नरेगा था, बाद में मनरेगा हुआ और अब जी-राम-जी. सुधार और संशोधन एक प्रक्रिया है.

यह बात उन्होंने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही. इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित चार मंत्री भी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री ने जी-राम-जी योजना की खुबियां गिनाईं और बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. देश के सभी गांवों, गरीबों और किसानों के चहुंमुखी विकास एवं जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए ही विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी-राम-जी अधिनियम 2025 लागू किया गया है. हर हाथ को काम मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में एक ग्रामीण परिवार को अब 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है.

इंदौर में एक दिन में 24 नए मरीज

437 भर्ती, 381 डिस्चार्ज, 56 अब भी अस्पताल में

20 मरीजों की अब तक हुई मौत

09 मरीजों का आईसीयू में इलाज

नव भारत न्यूज

इंदौर, 07 जनवरी. भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैले उल्टी दस्त के प्रकोप के बीच अब तक मृतक संख्या 20 हो गई है. बुधवार को 24 नए मरीज सामने आए, जिनमें से 4 को रेफर किया. वर्तमान में अस्पतालों में 56 मरीज भर्ती हैं, जबकि 9 मरीज आईसीयू में इलाजरत हैं. अब तक 437 मरीजों को भर्ती किया जा चुका है, जिनमें से 381 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं. हालात पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र में निगरानी और फॉलोअप तेज कर दिया है.

सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने बताया कि बुधवार को भागीरथपुरा प्रभावित क्षेत्र में उन मरीजों का फॉलोअप किया, जो इलाज के बाद घर लौट चुके हैं. इस दौरान 189 मरीजों का फॉलोअप लिया. साथ ही क्षेत्र में ओआरएस बनाने की विधि, हाथ धोने के सही तरीके और उल्टी दस्त से बचाव व उपचार से संबंधित जागरूकता सामग्री का वितरण किया. विभाग ने 686 ओआरएस और जिंक किट भी बांटीं. इधर, नर्मदा जल की पाइप लाइनों की सफाई का कार्य जारी है. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि पाइप लाइन शुद्धिकरण पूरा होने तक भागीरथपुरा क्षेत्र के निवासी नर्मदा जल का उपयोग न करें.

नर्सिंग कॉलेज भर्ती में पुरुष कर सकेंगे आवेदन

- मंडल ने जारी किया संशोधित विज्ञापन
- 13 जनवरी तक आवेदन होंगे जमा

> प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर के पद भरे जाने हैं. इनमें पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा के तहत महिलाओं को अधिकतम 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है. सरकार के विभागीय नियम तथा इंडियन नेशनल काउंसिल के मापदंड लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देते हैं.

जबलपुर, 07 जनवरी. मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पदों पर महिलाओं को सौ प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है. पुरुष उम्मीदवार 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका का निराकरण कर दिया. जबलपुर निवासी नौशाद अली की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ग्रुप-1, सब ग्रुप-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर सहित ट्यूटर के कुल 286 पदों पर महिला उम्मीदवारों को सौ प्रतिशत आरक्षण दिया है.

अमित शाह आज करेंगे उच्च स्तरीय सुरक्षा की बैठक

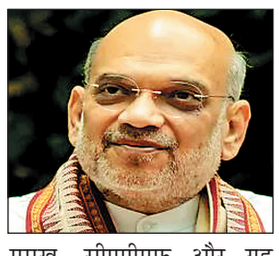

नई दिल्ली, 7 जनवरी . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह वर्ष 2026 में केंद्र शासित प्रदेश को लेकर पहली हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी.

बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गृह सचिव चंद्रकर भारती, डीजीपी नलिन प्रभात, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, सीएपीएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.यह समीक्षा बैठक जम्मू क्षेत्र के पर्वतीय और दूरदराज इलाकों में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशनों के बीच हो रही है.